

प्रादेशिक समाचार
दिनांक—07.09.2024 (सुबह 08:30 बजे)

मुख्य समाचार

- राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वकीलों के हित में तीन बड़े फैसले, अधिवक्ताओं को पेंशन, स्टाइपेंड और चिकित्सा बीमा की सुविधा देगी सरकार।
- उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान मृत युवाओं के परिजनों को राज्य के सभी मंत्री देंगे एक—एक लाख रुपये, भाजपा ने सरकार पर लगाया युवाओं को ठगने का आरोप।
- सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड में स्थायी डीजीपी को हटाकर प्रभारी डीजीपी नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार को भेजा नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ की बातचीत, मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर दिया बल।
- पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में जीता स्वर्ण पदक।

राज्य सरकार ने वकीलों के हित में तीन बड़े फैसले लिये हैं। 65 साल से अधिक उम्र वाले वैसे वकीलों को सरकार हर महीने सात हजार रुपये पेंशन देगी, जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। इसके अलावा नये वकीलों को तीन साल तक पांच हजार रुपये स्टाइपेंड और करीब 30 हजार वकीलों को पांच लाख रुपये के चिकित्सा बीमा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री मंड़ीयां सम्मान योजना में लाभुकों की उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों को अवधि विस्तार दिया गया है और उनके मानदेय को बढ़ाकर 13 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में लिये गये निर्णयों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान मृत 12 अभ्यार्थियों के परिजनों को राज्य के सभी मंत्री एक—एक लाख रुपये की सहायता राशि देंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक मंत्री एक अभ्यर्थी के परिजन को राशि देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता देने पर विचार किया जा रहा है।

भाजपा ने उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान मृत अभ्यर्थियों को एक—एक लाख रुपये देने के सरकार के फैसले की आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाड़री ने सरकार को संवेदनहीन बताते हुए आरोप लगाया कि मृत युवाओं के परिजनों को भी सरकार ठग रही है।

आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी
वेबसाईट news on air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR news alerts और फेसबुक पेज
All India Radio news पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
@AIR news अंडर स्कोर _ranchi
और
फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा
YOUTUBE Channel AIR NEWS Ranchi
पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड में स्थायी डीजीपी अजय कुमार सिंह को हटाकर प्रभारी डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति मामले पर संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते और प्रभारी डीजीपी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवार्ड चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस मामले पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

सब्जियों के लिए मशहूर हजारीबाग अब चाय के लिए भी जाना जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने उनके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को स्थानीय लोककथाएँ सुनाएं, जिससे विद्यार्थी कई भाषाएँ सीख सकें और देश की जीवंत संस्कृति से परिचित हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को देश की विविधता दिखाने के लिए शैक्षिक पर्यटन पर ले जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलेगी और पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

पेरिस पैरालिंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि होकाटो होतोजे सेमा ने पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया।

अखबारों की सुर्खियां

रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

प्रभात खबर ने लिखा है— हेमंत सरकार ने खोला खजाना।

हिन्दुस्तान की सुर्खी है— वकीलों की पेंशन दोगुनी हुई, अब मिलेंगे 14 हजार।

दैनिक भास्कर के शब्द हैं— झारखण्ड पहला राज्य जो वकीलों को पेंशन देगा।

दैनिक जागरण लिखता है— 18 वर्ष से ही मंडियां का लाभ, वकीलों को मानदेय।

रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है— सुमुख योग में आज विराजेंगे विष्ण विनाशक।

अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है— यदि गिरफ्तारी सही नहीं है तो आरोपी को रिहा कर देना चाहिए। हिन्दुस्तान टाइम्स ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर इडी की छापेमारी की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है।
